



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 414) पटना, वृहस्पतिवार 30 अप्रील 2026

परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 अप्रील 2026

सं० 02/कोर्ट केस-26/2025-3261/परि०—NALSA के दिशा-निर्देशों के अनुसार शमन के रूप में निर्गत ई0 चालान से संबंधित लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

उक्त के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा अत्यधिक संख्या में जारी किये गये वैसे ई0 चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं किये गये हैं, जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं या नहीं समर्पित किये गये हैं, इस प्रकार के 31.03.2026 तक के लंबित यातायात ई0 चालान के निपटान को सुगम बनाने हेतु बिहार सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा तत्काल प्रभाव से "एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026" की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष, 2026-27 तक के लिए प्रभावी होगी।

उल्लंघनकर्ताओं द्वारा ऐसे चालानों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि उक्त योजना में निर्धारित की गयी है।

शमन के रूप में निर्गत चालानों में से वैसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, इस प्रकार के चालान को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी, जो नीचे वर्णित अनुसूची के अनुरूप निष्पादित होगी।

अनुसूची

क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि
1	2	3	4
1	177	प्रावधानों नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन।	500 / -

क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि
1	2	3	4
2	177-क	धारा 118 (चालन विनियम) के अधीन विनियमों का उल्लंघन।	500 / -
3	178	पास या टिकट के बीना यात्रा करना।	500 / -
4	179	आदेशों, निर्देशों की जानबुझ कर अवज्ञा, बाधा डालना और प्राधिकारी को जानकारी देने से इन्कार करना।	मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विहित शास्ति (चालान में यथावर्णित) की 50 प्रतिशत राशि
5	180	अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना।	2,500 / -
6	181	बीना चालक अनुज्ञप्ति अथवा निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन करना।	2,500 / -
7	182(1)	अन्हर्ता के पश्चात् यान चलाना।	10,000 / -
8	182(2)	परिचालक के रूप में कार्यरत अनर्ह परिचालक या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या अभिप्राप्त करना।	10,000 / -
9	182क(1)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000 / -
10	182क(3)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000 / -
11	182क(4)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	5,000 / -
12	182ख	धारा 62क (दोषपूर्ण मोटरवाहन का परिचालन) के उपबंधों का उल्लंघन।	5,000 / -
13	183 (1)	अत्यधिक गति से यान चलाना। (i) एल.एम.वी. (ii) एम.एम.वी./एच.एम.वी	1,000 / - 2,000 / -
14	186	मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा यान चलाना	1,000 / -
15	189	सार्वजनिक स्थान में दौड़ और गति का मुकाबला	2,500 / -
16	192	रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञापन के बिना यान का उपयोग	2,000 / -
17	192क	परमिट के बिना यान का उपयोग	10,000 / -
18	194क	अधिक यात्रियों का वहन	1,000 / -
19	194ख (1)	सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना	500 / -
20	194ख (2)	बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है	500 / -

क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।		अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि	
1	2		3	4	
21	194ग		मोटर साईकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति	500 /—	
22	194घ		सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति	500 /—	
23	194ङ		आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता	5,000 /—	
24	194च		हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र में हार्न बजाना	1,000 /—	
25	196		बीमा न किये गये यान को चलाना	1,000 /—	
26	198		यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	1,000 /—	
27	201		यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालना	500 /—	
28	184 (क)	दो पहिया वाहन	लाल बत्ती को पार करना।	1,000 /—	परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या—6506 दिनांक 18.08.2023 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन		2,000 /—	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000 /—	
		मध्यम वाहन		4,000 /—	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000 /—	
29	184 (ख)	दो पहिया वाहन	स्टॉप साईन का उल्लंघन	1,000 /—	
		तीन पहिया वाहन		2,000 /—	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000 /—	
		मध्यम वाहन		4,000 /—	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000 /—	
30	184 (ग)		वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग	5,000 /—	
31	184 (घ)		विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना।	5,000 /—	
32	184 (ङ)	दो पहिया वाहन	यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना।	1,000 /—	
		तीन पहिया वाहन		2,000 /—	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)		3,000 /—	
		मध्यम वाहन		4000 /—	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)		5,000 /—	
33	184 (च)	सभी प्रकार के वाहनों के लिए	किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना, जो उससे बहुत कम है, जिसकी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जायेगी और जहाँ किसी सक्षम और किसी सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसे रीति में चलाना जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, अभिप्रेत होगा।	5,000 /—	

क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि
1	2	3	4
34	190 की उपधारा (2)	सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण या वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के उल्लंघन में यान चलवाना या चलाने देना (प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहन का परिचालन)	परिवहन विभाग के अधिसूचना सं०-10094 दिनांक-02.09.2024 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
	दो पहिया वाहन		1,000/-
	तीन पहिया वाहन		1,500/-
	हल्के मोटरयान (LMV)		2,000/-
	मध्यम मोटरयान (MMV)		3,000/-
	भारी मोटरयान (HMV)		5,000/-
	अन्य वाहन		1,500/-

2. वर्चुअल कोर्ट के क्रियाशील होने तक के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा ई० चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 414-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>